

क्र.मंअ/भुस/केपीएमपी/कावि/४१/२०१७
जिल्हाधिकारी, अकोला यांचे कार्यालय
अकोला दिनांक- ३१/०१/२०१७

भूमिसंपादन,पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क
अधिनियम, 2013 अंतर्गत कलम क्र.11 ची

अधिसूचना

क्र. 47/47/2012-2013 मौजे- रोहणा ता. मुर्तिजापूर जि. अकोला

ज्याअर्थी, भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, 2013 (2013 चा 30) (ज्याचा उल्लेख पुढे उक्त अधिनियम असा करण्यात आला आहे) च्या कलम 3 च्या खंड (इ) च्या परंतुकाव्दारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्र.संकीर्ण 11/2014/प्र.क्र.77/अ-2, दि. 19 जानेवारी,2015 (यात यापुढे जिचा निर्देश उक्त अधिसूचना असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचीत केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम 3 च्या खंड (झेड अ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखादया सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखादया जिल्हयातील 500 हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल; आणि

ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, अकोला जिल्हयाचे जिल्हाधिका-यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एक मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेली जमीन (यापुढे जिचा निर्देश उक्त जमीन असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते (ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची दोनमध्ये दिलेले आहे), आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम 11 च्या पोट कलम (1) च्या तरतुदीन्वये याव्दारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे; आणि

ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण क्र. 38, दि.-13 मार्च,2015 अन्वये सिंचन प्रकल्पाना उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण दोन व तीन यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सुट देण्यांत आली असल्यामुळे या प्रकल्पासाठी सामाजिक प्रभाव निर्धारण करण्याची आवश्यकता उरलेली नाही; आणि

-2-

ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम 43 च्या पोट कलम (1) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची पाचमध्ये दिलेला आहे.

त्याअर्थी आता, असे घोषित करण्यात येते की, उक्त अधिनियमाच्या कलम 11 च्या पोट कलम 4 अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही;

परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिका-यास विशेष परिस्थितीत, कारणे लेखी नमूद करुन अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल;

परंतु आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुध्दीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिका-याकडून भरपाई दिली जाणार नाही.

तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम 11 च्या पोट कलम (5) अनुसार, जिल्हाधिकारी, भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याच्या व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, 2014 (यात यापुढे त्यांचा निर्देश उक्त नियम असा करण्यात आली आहे) यांच्या नियम 10 च्या उप नियम (3) द्वारे विहित केल्या प्रमाणे भूमिअभिलेखाच्या अदयावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करित आहेत.

तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम 3 च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी, अकोला उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन, काटेपूर्णा मोर्णा प्रकल्प, अकोला यांस पदनिर्देशित करित आहेत.

अनुसूची- एक

जमिनीचे वर्णन गाव- रोहणा ता. मुर्तिजापूर जिल्हा- अकोला

| अक्र | नमुना 8 (अ) नुसार घर क्रमांक | अंदाजित क्षेत्र (चौरसफुटमध्ये) |
|------|---------------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 1/अ | १११.७६ |
| 2 | १/क | ३५.३७ |
| 3 | १ | १२०.५७ |
| 4 | २ | ८३.६१ |
| 5 | ३ | ११९.६६ |
| 6 | ४ | ९४.०२ |
| 7 | ५ | ९१.०४ |
| 8 | ६ | ८५.४७ |
| 9 | ७ | १३४.४१ |
| 10 | ८ | १५३.२९ |
| 11 | ९ | ९४.७६ |
| 12 | १० | ४८.३१ |
| 13 | १०/अ | ५३.१४ |
| 14 | १०/ब | ५७.९७ |
| 15 | ११ | २५.१८ |
| 16 | १२ | १५३.२९ |
| 17 | १३ | ५८.१३ |

| | | |
|----|------|--------|
| 18 | ୧୩ଅ | ୨୬.୦୧ |
| 19 | ୧୪ | ୧୭୩.୮୭ |
| 20 | ୧୫ | ୧୫୩.୨୯ |
| 21 | ୧୬ | ୧୫୩.୨୯ |
| 22 | ୧୭ | ୬୪.୧୭ |
| 23 | ୧୮ | ୯୦.୧୫ |
| 24 | ୧୯ | ୧୭୬.୧୪ |
| 25 | ୨୦ | ୮୦.୬୦ |
| 26 | ୨୧ | ୬୨.୭୬ |
| 27 | ୨୨ | ୧୫୩.୨୯ |
| 28 | ୨୩ | ୩୧.୬୩ |
| 29 | ୨୪ | ୧୫୩.୨୯ |
| 30 | ୨୫ | ୧୫୩.୨୯ |
| 31 | ୨୬ | ୭୩.୯୮ |
| 32 | ୨୭ | ୧୦୦.୩୪ |
| 33 | ୨୮ଅ | ୨୬.୭୬ |
| 34 | ୨୮ବ | ୩୪.୯୫ |
| 35 | ୨୮ | ୨୦.୦୭ |
| 36 | ୨୯ | ୪୨.୯୨ |
| 37 | ୩୦ | ୧୫୩.୨୯ |
| 38 | ୩୧ | ୧୫୩.୨୯ |
| 39 | ୩୨ | ୧୫୩.୨୯ |
| 40 | ୩୩ | ୧୦୧.୧୭ |
| 41 | ୩୪ | ୧୬୬.୬୯ |
| 42 | ୩୫ | ୧୦୧.୧୭ |
| 43 | ୩୬ | ୧୩୭.୨୯ |
| 44 | ୩୭ଅ | ୩୭.୧୬ |
| 45 | ୩୭ | ୪୯.୫୮ |
| 46 | ୩୮ ବ | ୪୧.୪୧ |
| 47 | ୩୮ | ୩୩.୪୫ |
| 48 | ୩୮ ଅ | ୨୮.୯୯ |
| 49 | ୩୯ | ୫୦.୧୭ |
| 50 | ୪୦ | ୧୦୦.୩୪ |
| 51 | ୪୧ | ୫୧.୨୮ |
| 52 | ୪୨ | ୭୦.୧୬ |
| 53 | ୪୩ | ୫୫.୭୪ |
| 54 | ୪୪ | ୧୫୩.୨୯ |
| 55 | ୪୫ | ୩୪.୧୯ |
| 56 | ୪୬ | ୩୮.୯୮ |
| 57 | ୪୬ ଅ | ୩୪.୧୯ |
| 58 | ୪୭ | ୮୯.୧୯ |
| 59 | ୪୮ ବ | ୮୫.୨୮ |
| 60 | ୪୮ | ୭୫.୨୫ |
| 61 | ୪୮ ଅ | ୪୨.୬୪ |
| 62 | ୪୯ | ୨୨୬.୨୩ |
| 63 | ୫୦ | ୬୫.୫୦ |
| 64 | ୫୧ | ୬୯.୮୬ |

| | | |
|-----|------|--------|
| 65 | ୫୨ | ୧୪.୦୦ |
| 66 | ୫୩ | ୭୨.୩୪ |
| 67 | ୫୪ | ୧୧୫.୬୬ |
| 68 | ୫୪ ଅ | ୧୫.୬୧ |
| 69 | ୫୫ | ୪୦.୧୭ |
| 70 | ୫୬ | ୧୨.୧୦ |
| 71 | ୫୭ | ୧୧୩.୧୬ |
| 72 | ୫୮ | ୧୫୩.୨୪ |
| 73 | ୫୯ | ୨୫୧.୯୮ |
| 74 | ୬୦ | ୫୩.୨୬ |
| 75 | ୬୧ | ୬୫.୨୧ |
| 76 | ୬୨ | ୧୪୪.୦୦ |
| 77 | ୬୩କ | ୨୬.୭୬ |
| 78 | ୬୩ଅ | ୩୧.୫୯ |
| 79 | ୬୩ | ୩୧.୫୯ |
| 80 | ୬୩ବ | ୩୧.୫୯ |
| 81 | ୬୪ | ୩୯.୦୦ |
| 82 | ୬୪ଅ | ୭୫.୪୮ |
| 83 | ୬୪ଢ | ୭୫.୪୮ |
| 84 | ୬୪ବ | ୭୫.୨୮ |
| 85 | ୬୪କ | ୭୫.୪୮ |
| 86 | ୬୫ | ୧୦୨.୮୪ |
| 87 | ୬୫ ଅ | ୫୩.୩୩ |
| 88 | ୬୬ | ୨୩୨.୪୨ |
| 89 | ୬୭ | ୨୦୯.୫୯ |
| 90 | ୬୮ | ୭୫.୧୧ |
| 91 | ୬୮ କ | ୬୧.୫୧ |
| 92 | ୬୮ ବ | ୩୩.୪୫ |
| 93 | ୬୮ ଅ | ୫୨.୬୩ |
| 94 | ୬୯ | ୧୫୩.୨୯ |
| 95 | ୭୦ | ୨୭୨.୪୦ |
| 96 | ୭୧ | ୧୫୭.୨୩ |
| 97 | ୭୨ | ୧୬୭.୨୩ |
| 98 | ୭୩ | ୧୨୨.୬୩ |
| 99 | ୭୪ | ୧୬୧.୨୮ |
| 100 | ୭୫ | ୧୬୧.୨୮ |
| 101 | ୭୬ | ୮୦.୦୦ |
| 102 | ୭୭ | ୪୬୪.୭୦ |
| 103 | ୭୮ ଅ | ୩୮.୬୫ |
| 104 | ୭୮ | ୩୮.୬୫ |
| 105 | ୭୮ ବ | ୩୫.୬୭ |
| 106 | ୭୯ | ୮୭.୭୦ |
| 107 | ୮୦ | ୧୦୪.୦୫ |
| 108 | ୮୧ | ୧୦୪.୦୫ |
| 109 | ୮୨ | ୩୯.୦୨ |
| 110 | ୮୩ | ୬୮.୭୫ |
| 111 | ୮୪ | ୪୯.୦୫ |

| | | |
|-----|-------|--------|
| 112 | ८५ ब | ६३.१७ |
| 113 | ८५ अ | ५९.४६ |
| 114 | ८५ | ६३.१७ |
| 115 | ८६ | ९२.९० |
| 116 | ८७ | ४४.५९ |
| 117 | ८८ | ४४.५९ |
| 118 | ८९ | ४९.०५ |
| 119 | ९० | ४९.०५ |
| 120 | ९१ | १४८.६४ |
| 121 | ९१ अ | ७४.३२ |
| 122 | ९२ | ९२.८५ |
| 123 | ९२अ | ३४.८४ |
| 124 | ९२ ब | २१.१८ |
| 125 | ९३ | ८३.६१ |
| 126 | ९३ अ | ८३.६१ |
| 127 | ९३ ब | ८३.६१ |
| 128 | ९३ क | ८३.६१ |
| 129 | ९४ | १५३.२९ |
| 130 | ९५ | ४१.८१ |
| 131 | ९५ अ | ४१.८१ |
| 132 | ९५ ब | ४१.८४ |
| 133 | ९६ | ७८.९० |
| 134 | ९७ | ८४.०९ |
| 135 | ९८ | ५६.४९ |
| 136 | ९८ अ | ५६.४९ |
| 137 | ९९ | ७६.६५ |
| 138 | १०० | ७६.६५ |
| 139 | १०१ | ८३.६१ |
| 140 | १०२ | १५३.२९ |
| 141 | १०३ अ | ४१.८१ |
| 142 | १०३ | ४१.८१ |
| 143 | १०४ | ५०.१७ |
| 144 | १०५ | ७२.४६ |
| 145 | १०६ | १५३.०९ |
| 146 | १०७ | ४१.८१ |
| 147 | १०७ अ | ४१.८१ |
| 148 | १०८ अ | ४०.६५ |
| 149 | १०८ ब | ४०.६५ |
| 150 | १०८ क | २३.२३ |
| 151 | १०८ | ४०.६५ |
| 152 | १०९ | ७६.१८ |
| 153 | ११० | ७५.२५ |
| 154 | १११ | ५८५.२९ |
| 156 | ११२ | २०.९० |
| 157 | ११३ | २०.१४ |
| 158 | ११४ अ | ४७.६६ |
| 159 | ११४ | ४७.६६ |

| | | |
|-----|-------|--------|
| 160 | ११५ | ८४.५४ |
| 161 | ११६ | १५३.२९ |
| 162 | ११७ | ७८.९७ |
| 163 | ११८ ब | ५२.९५ |
| 164 | ११८ क | ५२.९५ |
| 165 | ११८ अ | ५२.६५ |
| 166 | ११८ | ५२.९५ |
| 167 | ११९ | ३६.७८ |
| 168 | १२० अ | ४९.०५ |
| 169 | १२० | ९१.३९ |
| 170 | १२० ब | ५९.४६ |
| 171 | १२१ | ११२.९७ |
| 172 | १२२ अ | २१.०० |
| 173 | १२२ | २२.०० |
| 174 | १२३ | ६७.४५ |
| 175 | १२४ | ६७.४५ |
| 176 | १२५ | ६७.७२ |
| 177 | १२६ | ३९.०२ |
| 178 | १२७ | ४५.७७ |
| 179 | १२८ | १५३.२९ |
| 180 | १२९ | ९७.९२ |
| 181 | १३० ब | १०८.८५ |
| 182 | १३० | १०८.८५ |
| 183 | १३० अ | १०७.०४ |
| 184 | १३० क | १०५.८१ |
| 185 | १३१ क | ३६.७९ |
| 186 | १३१ | ३३.७२ |
| 187 | १३१ अ | ३३.७२ |
| 188 | १३१ | ३३.७२ |
| 189 | १३२ | १३२.६७ |
| 190 | १३३ | १५३.२९ |
| 191 | १३४ | १११.४८ |
| 192 | १३५ | ४०.८८ |
| 193 | १३६ | ६६.८९ |
| 194 | १३७ | १९२.९६ |
| 195 | १३८ | ९१.०४ |
| 196 | १३९ | ७६.६५ |
| 197 | १४० अ | ७६.६५ |
| 198 | १४० | ७६.६५ |
| 199 | १४१ | ४४.२२ |
| 200 | १४२ | ८३.६१ |
| 201 | १४३ | ९०.५४ |
| 202 | १४४ | ५५.७९ |
| 203 | १४५ | ५१.२८ |
| 204 | १४६ | ३६.२३ |
| 205 | १४७ | १५.३३ |
| 206 | १४८ | ४९.७० |

| | | |
|-----|-------|----------|
| 207 | १४९ | १५३.२९ |
| 208 | १५० | १५३.२९ |
| 209 | १५१ | १५३.२९ |
| 210 | १५२ | ६१.३२ |
| 211 | १५३ | १५३.२९ |
| 212 | १५४ | ४७.५२ |
| 213 | १५५ | ४७.५२ |
| 214 | १५६ | ६३.७३ |
| 215 | १५७ | ५१.३० |
| 216 | १५८ | १८.५८ |
| 217 | - | ९२.८२ |
| 218 | - | १५२.९१ |
| 219 | - | १५३.२९ |
| 220 | १८ अ | ६३.०९ |
| 221 | १३९ अ | ७६.६५ |
| | एकुण | १८९८५.१५ |

अनुसूची- दोन

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण

प्रकल्पाचे नाव- उमा बॅरेज प्रकल्प.
 प्रकल्पकार्याचे वर्णन - उमा बॅरेज प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्रामुळे मौजे पोही गावठान.
 समाजाला मिळणारे लाभ - 5510 हेक्टर क्षेत्राला सिंचनाचा लाभ मिळणार आहे
 त्यामुळे लाभक्षेत्रातील शेतक-यांची आर्थिक स्थिती सुधारण्या
 बरोबरच रोजगारातही वाढ होणे अपेक्षित आहे.

अनुसूची- तीन

बाधित व्यक्तींचे विस्थापन -- उक्त बाधित व्यक्तीची घरे बुडीत क्षेत्रात येत
करण्यास भाग पाडणारी कारणे असल्यामुळे त्यांचे विस्थापन अनिवार्य आहे.

अनुसूची- चार

महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण क्र. 38 दिनांक- 13 मार्च, 2015 अन्वये
 सिंचन प्रकल्पांना सामाजिक प्रभाव निर्धारणापासून सूट दिली असल्यामुळे सामाजिक प्रभाव निर्धारण करण्यात
 आलेले नाही . त्यामुळे त्याचा सारांश प्रकाशित करण्याच्या प्रश्न उद्भवत नाही.

अनुसूची- पाच

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशिल

- अ. प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यांत जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी, अकोला
 आलेल्या अधिका-याचे पदनाम
- ब. प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता जिल्हा पुनर्वसन कार्यालय
 जिल्हाधिकारी कार्यालय अकोला
- क. ज्या अधिसूचने व्दारे प्रशासकाची क्र. आरपीए-2015/प्र.क्र.129(3)/र-
 नियुक्ती करण्यांत आली आहे एक दि 28/05/2015.
 त्या अधिसूचनेचा तपशिल.
- टीप - उक्त जमिनीच्या आराखड्यांचे निरीक्षण उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन (का.पू.मो.प्र.)
 जिल्हाधिकारी कार्यालय अकोला येथे करता येईल.

स्वा/-

जिल्हाधिकारी, अकोला करीता